

समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित परिवार के मुखिया हेतु बनाये जाने वाले समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड हेतु आवेदन-पत्र।

1- मुखिया/रोटी अर्जक का नाम -

2- पिता/पति का नाम-

3- व्यवसाय-

4- पता - मं0नं0-

पो0-

तहसील-

मोबाईल संख्या-

ग्राम/मोहल्ला-

थाना-

जिला-

ईमेल-

मुखिया / रोटी
अर्जक का
फोटो

5- मुखिया/ रोटी अर्जक की आयु -रक्त समूह (यदि ज्ञात हो)-
(जन्मतिथि)

जाति-

6- मुखिया के परिवार के सदस्यों के नाम आयु लिंग मुखिया से संबंध

1-

2-

3-

4-

5-

7- नामिनी का नाम -

एवं मुखिया से संबंध

8- आधार संख्या (यदि हो) -

9- आय (वार्षिक सभी स्रोतों से) -

10- बैंक खाता विवरण

बैंक खाता संख्या -

बैंक व शाखा का नाम-

आई0एफ0सी0 कोड-

11- क्या आप उ0प्र0 सरकार द्वारा -

चलाई जा रही किसी अन्य बीमा

योजना का लाभ ले रहे हैं

यदि हाँ तो विवरण दें।

मुखिया/रोटी अर्जक

नामिनी

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा उ0प्र0 सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य बीमा योजना का लाभ नहीं लिया जा रहा है तथा मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त समस्त सूचनायें पूर्णतया सत्य हैं एवं कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि कभी भी यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गयी सूचनायें

असत्य हैं तो मेरा कार्ड तुरन्त निरस्त कर दिया जाय एवं मेरे द्वारा ली गयी वित्तीय सहायता मुझसे भू-राजस्व के बकाय के समान वसूल कर ली जाय। मेरे आधार कार्ड से संबंधित सूचनायें इस योजना हेतु देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक : (नामिनी के हस्ताक्षर (परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान) /अंगूठे का निशान)

सी0एस0सी0 की कोड संख्या

नोट :-किसानों द्वारा किसान बही/खसरा/खतौनी एवं अन्य द्वारा तहसीलदार से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (जो कि 01 वर्ष से पूर्व का न हो) की छायाप्रति अवश्य संलग्न की जायेगी। आय प्रमाण पत्र एवं खतौनी का विवरण ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

निर्देश-

1. आय प्रमाण-पत्र का तात्पर्य राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सुसंगत शासनादेश के क्रम में जारी किया गया हो एवं योजना लागू होने की तिथि से एक वर्ष पुराना न हो। कृषक एवं बी.पी.एल. तथा समाजवादी पेंशनधारक यदि परिवार के मुखिया या रोटी अर्जक हैं उन्हें आय प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाना है।
2. परिवार विवरण प्रमाण-पत्र हेतु परिवार रजिस्टर की प्रति या राशन कार्ड या उप जिलाधिकारी/ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
3. परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक हेतु आयु प्रमाण-पत्र हेतु हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र/पैन कार्ड/नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाइसेन्स/आधार कार्ड/राशन कार्ड (कोई एक) संलग्न करें।

